



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।
वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com
फोन न० 0135-2669658 फैक्स न० 0135-2672902

पत्रांक:-परीक्षा / 447

/2021-22 दिनांक: 17 फरवरी, 2022


विज्ञप्ति/अधिसूचना

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृहविज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की दिनांक 08-08-2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या-377 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक एल0टी0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृहविज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई।

सूच्य है कि सहायक अध्यापक एल0टी0 अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृहविज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 09 मार्च, 2022 से विषयवार कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके आधार पर कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को अंकित Category व Serial Number के अनुसार अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जायेगा। सहायक अध्यापक एल0टी0 की विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड है।

अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि :-

1. विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद/विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता/प्रशिक्षण अर्हता के अन्तर्गत अभ्यर्थी की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/बी0एड0/टी0ई0टी0 की समस्त वर्षों/समस्त सैमेस्टर सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या-79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट) एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
4. अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग कार्यालय में सभी अभ्यर्थी मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।


सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।

सहायक अध्यापक एल0टी0 भर्ती परीक्षा अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

क्र० सं०	विषय	शाखा (60 व 10 प्रतिशत)	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि			
			Category	Serial Number	सत्यापन तिथि	
1	गणित	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 80 तक	9-03-2022	
			OBC	1 से 20 तक		
		सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	OBC	21 से 23 तक	10-03-2022	
			SC	1 से 32 तक		
			ST	1 से 6 तक		
			EWS	1 से 16 तक		
			PH	1 से 4 तक		
			GEN	1 से 11 तक		
		महिला शाखा 60 प्रतिशत	OBC	1 से 2 तक	1	
			SC	1 से 4 तक		
	EWS		1			
	GEN		1 से 17 तक			
	सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	SC	1 से 4 तक	11-03-2022		
		GEN	5			
गणित	सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	SC	5	11-03-2022		
	महिला शाखा 10 प्रतिशत	GEN	1			
2	विज्ञान	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 93 तक	14-03-2022	
		सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	OBC	1 से 4 तक		
	विज्ञान	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	OBC	5 से 25 तक	14-03-2022	
			SC	1 से 37 तक		
			ST	1 से 7 तक		
			EWS	1 से 17 तक		
			PH	1 से 10 तक		
		GEN	1 से 8 तक			
	विज्ञान	महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	9	15-03-2022	
			OBC	1		
			SC	1 से 4 तक		
			EWS	1		
		सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	GEN	1 से 19 तक		1
			OBC	1 से 3 तक		
			SC	1 से 7 तक		
			GEN	1		
		महिला शाखा 10 प्रतिशत	SC	1 से 2 तक	1	
			GEN	1 से 61 तक		
3	अंग्रेजी	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 61 तक	16-03-2022	
		अंग्रेजी	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN		62 से 67 तक
	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	68 से 79 तक	1		
		OBC	1 से 20 तक			
		SC	1 से 30 तक			
		ST	1 से 06 तक			
	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	EWS	1 से 15 तक	1		
	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	PH	1 से 6 तक			
	महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 5 तक	21-03-2022		
	महिला शाखा 60 प्रतिशत	SC	1 से 2 तक			
सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	GEN	1 से 16 तक	1			
	OBC	1 से 3 तक				
	SC	1 से 6 तक				
अंग्रेजी	महिला शाखा 10 प्रतिशत	GEN	1		1	
		SC	1			

23

4	सामान्य	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 13 तक	21-03-2022
			OBC	1 से 3 तक	
			SC	1 से 6 तक	
			ST	1	
			EWS	1 से 2	
		महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 4 तक	
			SC	1 से 2 तक	
		सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	GEN	1 से 3 तक	
SC	1				
महिला शाखा 10 प्रतिशत	SC	1			
5	गृह विज्ञान	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 2 तक	
			SC	1	
		महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 10 तक	
			OBC	1	
			SC	1 से 4 तक	
		महिला शाखा 10 प्रतिशत	EWS	1	
			GEN	1	
		SC	1		
6	उर्दू	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 2 तक	
7	पंजाबी	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1	
8	बंगाली	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1	
9	संगीत	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1	
		सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	SC	1	
		महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1	
10	वाणिज्य	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 5 तक	
	वाणिज्य	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	6 से 8	
			OBC	1	
			SC	1 से 3 तक	
		सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	SC	1	
11	संस्कृत	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 15 तक	
			OBC	1 से 2 तक	
			SC	1 से 6 तक	
			EWS	1 से 2 तक	
		महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 4 तक	
महिला शाखा 60 प्रतिशत	SC	1 से 2 तक			
12	व्यायाम	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 46 तक	
			OBC	1 से 12 तक	
		सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	SC	1 से 3 तक	
	व्यायाम	सामान्य शाखा 60 प्रतिशत	SC	4 से 19 तक	
			ST	1 से 3 तक	
			EWS	1 से 8 तक	
			PH	1 से 5 तक	
		महिला शाखा 60 प्रतिशत	GEN	1 से 07 तक	
			SC	1 से 4 तक	
		सामान्य शाखा 10 प्रतिशत	GEN	1 से 7 तक	
			OBC	1	
SC	1				

21/3/22

सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।